सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 350/2016

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. रूकमा पत्नी स्व. सुरजमल
2. घीसा पुत्र स्व. सुरजमल
3. गीता पुत्री स्व. सुरजमल
4. गंगा पुत्री स्व. सुरजमल
5. सुनिता पुत्री स्व सुरजमल

समस्त जाति रेगर निवासीगण गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. रामधन पुत्र भवानीबक्ष जाति ढोली निवासी तितरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. सुरजकरण पुत्र धन्ना
3. हेमराज पुत्र सुरजकरण

समस्त जाति जाट निवासीगण गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

4. जगदीश पुत्र किशना जाति रेगर निवासी गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राज. काश्त. अधि. सपठित धारा 128 राज. भू राजस्व अधि.

निर्णय

दिनांकः–27.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प गुलगांव में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की वादग्रस्त आराजी **वाके ग्राम गुलगांव तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 553 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2153 रकबा 0.16 हैक्ट.** भूमि वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के ही कब्जे काश्त, स्वामित्व आधिपत्य में निरन्तर चला आ रहा है जिसमें प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 का कोई वास्ता सरोकार नही है। वादीगण की वादग्रस्त आराजी के लगवा प्रतिवादी सं. 1 की आराजीयात है जिसके खसरा नम्बर 2154 रकबा 0.17 हैक्ट है। प्रतिवादी सं. 1 अपने सहयोगी व्यक्ति प्रतिवादी सं 2 लगायत 4 को साथ में लेकर वादीगण की आराजीयात में लकड़ी के बल पर घुसकर उसके कब्जे काश्त में बाधा पंहूचाते रहते है एवं बार बार सीमा चिन्हों को मिटा देते है। मना करने पर लडाई–झगडा करते रहते है। वादीगण द्वारा दिनांक 22.06.2016 को प्रतिवादी सं. 5 व राजस्व पटवारी हल्का गुलगांव एवं पडोसी खातेदार की मोजूदगी में वादग्रस्त आराजी का सीमा ज्ञान करवाया था उसके बावजूद प्रतिवादीगण की नियत खराब होने के कारण उक्त सीमाज्ञान व मोका पर्चा रिपोर्ट को नही मानकर वादीगण की काश्त की हुई फसल को काटकर ले जाने की एलोनिया धमकी दी जिसके कारण वादीगण द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। दिनांक 27.06.2017 को केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प गुलगांव में प्रतिवादीगण 1 ने व प्रतिवादीगण 2 से 3 की ओर से पुत्र हेमराज ने लिखित सहमति दी कि वादीगण की भूमि नापकर पत्थरगढी कर दी जावे तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। उक्त लिखित जवाब शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 4 अनुपस्थित रहने की कारण प्रतिवादी सं. 4 की तलबी व जवाब हेतु पत्रावली नीयत की गई। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से कोई जवाब पेश नही । पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादी सं. 3 उपस्थित।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकारान को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादपत्र में प्रतिवादी सं. 1 तथा 3 ने पूर्व में ही लिखित सहमति दी है एवं वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादीगण का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा **वाके ग्राम गुलगांव तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 553 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2153 रकबा 0.16 हैक्ट.** भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में जबरन घुसकर काश्त नही करें व वादीगण के कब्जे काश्त की फसल को नष्ट भ्रष्ट नही करें। तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी